

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास(बोकारो)।

विविध वाद संख्या-11/2017-18

(अलीमुद्दीन अंसारी एवं अन्य-बनाम-नन्द किशोर सिंह एवं अन्य)

आदेश

14-फारम सं० 563

14

की संख्या र तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
18/2023	प्रस्तुत वाद प्रथम पक्ष अलीमुद्दीन अंसारी एवं अन्य के आवेदन पत्र के आधार पर कार्रवाई प्रारम्भ किया गया न्यायालय के द्वारा वाद को नामांकित करते हुए उभय पक्षों को सूचना निर्गत कर सुनवाई की गयी। प्रथम पक्ष ने अपने लिखित आवेदन -सह- कारण पृच्छा में कहा है कि मौजा-कोलबेन्दी, खाता सं०-188, प्लॉट नं०-399, 400, रकवा-0.78 एकड़ से संबंधित है। उक्त भूमि तत्कालीन जम्मीनदार के द्वारा मौखिक बन्दोबस्ती के माध्यम से प्लॉट नं०-399 में रकवा-30 डी० एवं अन्य कुल 1.00 एकड़ भूमि बंगला साल 1336 में फुदनी देवी बीबी के नाम से बन्दोबस्त किया गया है। तत्पश्चात राजा एवं जम्मीनदारी उन्मूलन के बाद लगान का भुगतान वंशानुगत तरिके से किया जा रहा है। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात थोका-3 खोला गया। प्रथम पक्ष लगातार विभिन्न प्रकार का फसल एवं घर बनाकर दखलकार है। इन्होंने यह भी कहा है कि प्लॉट नं० 345, 346 में करमाली मियां, सुरमील मियां, उमरावती मियां एवं अन्य आवासीय मकान बनाकर घर-आंगन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इन्होंने यह भी कहा है कि द्वितीय पक्ष द्वारा C.W.J.C. No. 3349(1998 R उच्च न्यायालय पटना, बेंच रॉची में Write Petition दाखिल किया था। उक्त रिट में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया। यह भी कहा है कि उक्त भूमि पर गृह निर्माण के दौरान 107 द०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया था। जिला मत्स्य पदाधिकारी, बोकारो के पत्रांक 576 दिनांक 08.07.2017 से आर०टी०आई के तहत प्रथम पक्ष को सूचना दिया की 31 डी० भूमि में तालाब नहीं है। उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का हक, स्वत्व एवं दखल-कब्जा है एवं अन्त में उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है। द्वितीय पक्ष अपने कारण पृच्छा में उल्लेख किया है कि वर्तमान वाद चलने योग्य नहीं है। प्रथम पक्ष बाहुबल के बल पर जमीन हड़पना चाह रहे हैं। इन्होंने यह भी कहा है कि खाता सं०-188, प्लॉट 399, 400, रकवा-0.78 एकड़ भूमि भूतपूर्व जमींदार काशीपुर पंचकोट राजा का था। जिन्होंने कृष्ण प्रसाद दूवे को डीड के द्वारा दिनांक 10.07.1882 एवं 29.01.1986 के द्वारा हस्तांतरण किये एवं उसके पश्चात् द्वितीय पक्ष लगातार दखल-कब्जे में है। इन्होंने यह भी कहा है कि प्रथम पक्ष का कागजात जाली एवं बनावटी है। द्वितीय पक्ष के कोई भी उत्तराधिकारीगण के द्वारा भूमि को बिक्री नहीं किया गया है एवं अन्त में प्रथम पक्ष के आवेदन को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 1285 दिनांक 06.05.2023 के द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी ने उक्त भूमि का प्रथम पक्ष के नाम से भाग सं०-01, पृष्ठ सं०-331 में जमाबंदी कायम होने का उल्लेख किया है। उभय पक्षों के विज्ञा अधिवक्ताओं का बहस सुना। दाखिल कागजातों एवं अंचल अधिकारी, चास के प्रतिवेदन का अवलोकन किया प्रथम पक्ष के द्वारा प्रसंगाधीन भूमि पर आवासीय मकान का उल्लेख किया गया है तथा 1336 बी०एस० के आधार पर दावा किया जा रहा है। जबकि द्वितीय पक्ष के द्वारा पंचकोट राजा के द्वारा उल्लेख किया गया है। द्वितीय पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय से पारित आदेश का अनुपालन नहीं	

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

18

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अंचल
टिप्पणी

अंचल अ

प्रेषक,

नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रथम पक्ष का ऑनलाईन जमाबंदी भाग सं०- 1, पृष्ठ सं० 331 में फुदनी बीबी के नाम से जमाबंदी कायम होने एवं प्रथम पक्ष का दखल-कब्जा होने की पुष्टि होती है। इसी आशय के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित/संशोधित,

21/08/23

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।

21/08/23

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।

c.c. - 1/4-9-23
c.c. - 1/4-9-23
29-9-23